

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

तखनक- दिनांक- 15-8-2020

**-कार्यालय द्वारा-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/सर्कारी कार्यालय जीक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए 2020-21 हेतु विज्ञान सहायता तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्न से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पदचक्रण/प्रवेश संपत्ता वृद्धि स्वीकृत करने तर्कों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक को सत्र-2 में विस्तार इन इच्छित पदचक्रण संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पठन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निम्नी लेख में स्थापित विज्ञान इन इच्छित पदचक्रण संघटित करने वाली विज्ञान सहायता तकनीकी शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्न से पूर्व से सम्बद्ध है, में एम्प्लॉयीशिप/द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सहायता अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एम्प्लॉयीशिप/द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उपरोक्त नाम के समुच्चय अखिल पदचक्रण/प्रवेश संपत्ता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्प्लॉयीशिप/द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्ताव अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुमोदन में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्न द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पदचक्रण एवं अर्जित अखिल प्रवेश संपत्ता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | संस्था का नाम | संस्था का नाम   | पदचक्रण का नाम  | एम्प्लॉयीशिप/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संपत्ता | परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संपत्ता |
|----------|---------------|---|---|--|---|
| 1        | एनएस          | एनएस कल्याण इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इलाहाबाद, कानपुर, जौनपुर। | विज्ञान इच्छित इच्छित/कल्याण इच्छित/कानपुर इच्छित/जौनपुर इच्छित | 50   | 50  |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एम्प्लॉयीशिप/द्वारा/विज्ञान/द्वारा द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, लखनऊ विनियमकारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण संबंधी द्वारा निर्धारित शुल्क सीधे राष्ट्रीय इच्छित पदचक्रण हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक पदचक्रण हेतु रु०- 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पदचक्रणों (दो वार्षिक पदचक्रणों के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। परन्तु के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क की राशि में सहाय-समाय एवं साधन द्वारा निर्गत किये जाने वाले साहाय्यता संपत्ती होने और एतदनुसार कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। जीक निर्वाचन समिति द्वारा सत्र सत्र 2020-21 हेतु सीमा का पुनर्विचार किया जाता है, जो सीमा की कार्यवाही करे लगे होगी।

*(Handwritten signature)*

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने) विनियमावली-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा; शीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को छात्र-संग पर निर्भर सामग्री/सिद्धान्त के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुलभ जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/टीचिंग/सीनियोरिटी से जापानी सभ हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था छात्र प्रवेश काल पर अपने विधि/निष्ठा/अभियन्ता/उत्सवकारियों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, संस्था द्वारा बनाये गये नियम, विधियाँ, कार्यवाही, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का जेरा और प्रेषित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी बद बालर किया जाता है तथा छात्र बंद के संबंध में भी, शासन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी कार्य निर्मात किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित रूप से किसी कार्यवाही प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को संयुक्त काल में होगा अथवा उक्त प्रवेश की (कार्यान्वयन के कारण से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्णय परीक्षा आस्था निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सुधार जीने संस्था की ऐतिहासिक प्रतिभूति, स्टाफ, छात्र-संग, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, छात्रावास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-परिपालन हेतु उपयुक्त कार्यवाही प्राप्त करने के साथ संघर्ष लेखने के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही संस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति को समस्त जानकारी काल में प्रेषित, सुनि-संग, फर्मा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी जग पर पाठ्यक्रम को संघटित में प्रेषित किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रेषित किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने जाने की अनुमति को करनी होगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले संस्था शर्तों का पालन किए जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुसंधानकार्य कार्यवाही की जाएगी।

(50 जायको शिक्षा)  
सचिव

सूचना- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-2141

तारीख 13-08-2020

प्राविधिक-शाखा/निदेशक, तथा उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इमानपुर, सुधारा, भीमपुर।

(50 जायको शिक्षा)  
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/03/2021

कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरिय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/03/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित गत्याओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4819-RADHA VALLABH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, IMAMPUR,  
MUTHAN, JAUNPUR

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम                    | एओआईसीटीआई/पीजीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|---|---|
| 1       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 90  | 90  |
| 2       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60  | 60  |
| 3       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60  | 60  |
| 4       | CIVIL ENGINEERING                   | 60  | 60  |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआईसीटीआई/पीजीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंचीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से

YOUNG  
RADHA VALLABH INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
MUTHAN, JAUNPUR, U.P.

शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-आदेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था की (उपरोक्त) प्रारम्भिक शिक्षा समितियाँ तथा उच्च समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन-आदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासन-आदेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, 0500, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 0050 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 0050 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, दिशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ शोभा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है। इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में न्यायालय द्वारा सौंपे प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शोभा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चनिकाश परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर सौंपे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण विषयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुहूर्त भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, कक्षाएँ, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त ढाँचाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टेकने के सम्बन्ध में समस्त दायित्व स्वयं संस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के चलाने में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

शिक्षणपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809



दिनांक: 09/04/2021

FEDERAL  
Rajya Uchchayanikaashak Samiti  
Lucknow, Kalyan, Varanasi



सुनील कुमार सोनव

सचिव



**कार्यालय,****उच्च. प्राविधिक शिक्षा परिषद.****उत्तर प्रदेश सहनऊ।****संख्या- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2022/7817****सहनऊ- दिनांक- 30/08/2022****कार्यालय भाषः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मोसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सहनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघर्ष हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संवाहित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सहनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4819-RADHA VALLABH INSTITUTE OF TECHNOLOGY**

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम                    | ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|---|---|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 60  | 60  |
| 2       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60  | 60  |
| 3       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60  | 60  |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 90  | 90  |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1987 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1987, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उद्गुत्तार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

✓

- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
  - ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/आदेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कराये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
  - ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम सुपर किया जाता है तथा टावर वाद के संबंध में या, नास्वातप्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
  - ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधर पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
  - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्ष्य नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
  - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक फोटो भूमि, स्टाफ, साधन-सम्पदा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
  - ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघलित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के अंशालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उल्लेख संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
  - ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पदा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
  - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निगमनकार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(ए०आई०सी०टी०ई०)

सचिव

दिनांक: 30/08/2022

फ़ोन- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/7022/7818-8488

प्राविधिक-

प्राधान्यकार्य/निदेशक RADHA VALLABH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  
(ए०आई०सी०टी०ई०)

सचिव